## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

### पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -96/2023

**अनवान**

1. रामसुख आत्मज पूसराज जी, आयु 52 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कोलीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान।

-वादी /प्रार्थी

**बनाम**

1. उर्मिला बाई पुत्री हजारी लाल, जाति मीणा, निवासी पावर हाउस के पास, चक्की मोहल्ला, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. कंचन बाई पत्नी हजारी लाल, जाति मीणा, निवासी पावर हाउस के पास, चक्की मोहल्ला, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. प्रकाश आत्मज हजारी लाल, जाति मीणा, निवासी पावर हाउस के पास, चक्की मोहल्ला, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. पिंकी पुत्री हजारी लाल, जाति मीणा, निवासी पावर हाउस के पास, चक्की मोहल्ला, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. राजेश आत्मज हजारी लाल, जाति मीणा, निवासी पावर हाउस के पास, चक्की मोहल्ला, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. सुमित्रा पुत्री हजारी लाल, जाति मीणा, निवासी पावर हाउस के पास, चक्की मोहल्ला, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रावतभाटा।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित - श्री आजाद हुसैन अभिभाषक प्रार्थी

श्री भूपेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1से 6

**निर्णय** दिनांक 26.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम नीम का खेड़ा, पटवार हल्का बाड़ोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के खातेदारी की खसरा नम्बर 22, रकबा 0.65 हैक्टर आराजी स्थित है। प्रार्थना-पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 3/12 रकबा 5 बीघा दर्ज थी जो खातेदार माधो, धन्ना, लक्ष्मण तथा रामकिशन आदि के नाम दर्ज थी। जिनके द्वारा प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान को बेचान कर दी जो प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थीगण के नाम ग्राम नीम का खेड़ा, प0ह0 बाड़ोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ में खसरा नम्बर 23, रकबा 1.08 हैक्टर दर्ज है जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व, खसरा नम्बर 3/1 रकबा 5 बीघा दर्ज थी जो हजारी लाल पिता हीरा के नाम दर्ज थी। प्रार्थी के नाम दर्ज हाल खसरा नम्बर 22 के सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 3/12 ग्राम बाड़ोली की आराजी से लगवा स्थित थी तथा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हाल खसरा नम्बर 23 के सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 3/1 की आराजी नीम का खेड़ा तालाब के पास स्थित थी अर्थात प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व प्रारम्भिक नक्शा ट्रेस में काफी दूर-दूर स्थित थी। नक्शा ट्रेस हाल सेटलमेन्ट से पूर्व के में दोनों आराजी को नक्शा ट्रेस में दूर-दूर दर्शा रखा [illegible] सेटलमेन्ट में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत नक्शा ट्रेस तैयार कर प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 22 [illegible] आराज[illegible] कर दी और खसरा नम्बर 23 की आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी। जबकि मौके पर प्रार्थी खसरा [illegible] की आराजी पर मौके पर काबिज होकर कदीमी समय से काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी हाल [illegible] से पूर्व खसरा नम्बर 3/12 की आराजी जहां पर स्थित है उसी पर बाद सेटलमेन्ट प्रार्थी काबिज होकर [illegible] कर रहा है। किन्तु हाल सेटलमेन्ट में विभाग द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 23 अप्र[illegible] के नाम दर्शा दिया जबकि हमेशा से खसरा नम्बर 23 की भूमि जहां पर स्थित है उक्त स्थान पर प्रार्थी काबिज काश्त है। आज भी प्रार्थी ही काबिज है। अप्रार्थीगण के सेटलमेन्ट से पूर्व की आराजी प्रार्थी की आराजी काफी दूर स्थित है। किन्तु अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 23 पर कब्जा नहीं होने के बाद भी सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 23 की आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी। जो त्रुटि पूर्ण है तथा प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 23 की आराजी व अप्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 22 की आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना सुनवायी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.19 13:40:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौ. गढ़)

अवसर दिये ही गलत नक्शा ट्रेस कायम किया है जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कहा गया किन्तु अप्रार्थीगण तैयार नहीं होने से प्रार्थी द्वारा भू धारक को भी शिकायत की किन्तु उसके बावजूद भी नक्शा ट्रेस दुरूस्त नहीं होने से प्रार्थी के लिये यह प्रार्थना -पत्र पेश करना आवश्यक हो गया। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के नाम ग्राम नीम का खेड़ा, पटवार हल्का बाड़ोलिया तहसील रावतभाटा स्थित खसरा नम्बर आराजी 23 रकबा 1.08 हैक्टर में से 0.65 हैक्टर आराजी प्रार्थी के नाम नक्शा ट्रेस में दर्शाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानने का आदेश प्रदान किया जाता है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार पुरोहित ने पैरवी हेतु वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से न्यायालय द्वारा जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 01.10.2024 को प्रार्थना पत्र पक्षकारों का कुसंयोजन एवं 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 22 में कुल 6 खातेदार है तथा आराजी संख्या 23 में कुल 59 खातेदारों को वाद/प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। राजस्व नियमों व सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत जमाबंदी के सभी सहखातेदारों को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण प्रकरण खारिज योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पक्षकारों के कुसंयोजन का प्रस्तुत वाद/प्रकरण खारीज किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण/विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम नीम का खेडा की वादग्रस्त आराजी संख्या 22 में कुल 6 खातेदार है तथा आराजी संख्या 23 में कुल 59 खातेदारों को वाद/प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। राजस्व नियमों व सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत जमाबंदी के सभी सहखातेदारों को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण प्रकरण खारिज योग्य है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण ग्राम नीम का खेडा प0ह0 बाडोलिया की विवादित आराजीयात खसरा संख्या 22, 23 कें संबंध मे प्रार्थना पत्र धारा 136 रा.ले.रे.ए. का प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 23 अप्रार्थीगण के नाम दर्शा दिया जबकि हमेशा से खसरा नम्बर 23 की भूमि जहां पर स्थित है उक्त स्थान पर प्रार्थी काबिज काश्त है। आज भी प्रार्थी ही काबिज है। अप्रार्थीगण के सेटलमेंट के पूर्व की आराजी प्रार्थी की आराजी काफी दूर स्थित है किन्तु अप्रार्थीगण का खसरा संख्या 23 पर कब्जा नहीं होने के बाद भी सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा संख्या 23 की आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी। जो त्रृटि पूर्ण है तथा प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 23 की आराजी व अप्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 22 की आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आराजी संख्या 23 रकबा 1.08है0 में से 0.65है0 भूमि प्रार्थी के नाम नक्शा ट्रेस में दर्शाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया है। किन्तु प्रार्थना पत्र धारा 136 के अवलोकन एवं दस्तावेजी सबूत जमाबंदी के अवलोकन किया गया। जमाबंदी अनुसार समस्त सहखातेदारान को प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया, किन्तु सभी हितबद्ध पक्षकार है, जो कि पक्षकारों की कुसंयोजन की श्रेणी के अन्तर्गत आना प्रतित होता है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पक्षकारों के कुसंयोजन पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिवर्जित होकर प्रथमदृष्ट्या स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचनों के अनुक्रम में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 का चलने योग्य नहीं होने से प्रथमदृष्ट्या ही खारिज योग्य है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकारों का कुसंयोजन एवं 151 सी.पी.सी. का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया गया है।

अतः प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकारों [illegible] एवं [illegible] प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 रा0ले0रे0एक्ट बा[illegible] का खेडा पटवार हल्का बाडोलिया की आराजी संख्या 23 रकबा 1.08है0 के संबंध [illegible] जाता है। [illegible] दिनांक 26.11.2024 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.19 13:40:56 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)